कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छात्रोप्र / निजी / 2016–17 / दिनांक : 27.09.17

1. **समस्त उपनिदेशक**
   (माध्यमिक)
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**
   (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)

विषय :– दिनांक 28.09.17 से 02.10.17 तक अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले रखने बाबत।
प्रसंग :– शासन के आदेश दिनांक 27.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की पालना में श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 04.10.2017 की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 28.09.17 से 02.10.17 तक समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कार्यालयं खुले रखें जावें। उपनिदेशक (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय), छात्रवृति प्रभारी (अति. जिला शिक्षा अधिकारी) एवं छात्रवृति कार्य से जुड़े समस्त मंत्रालयिक एवं लेखा कार्मिक कार्यालय समय में उपस्थित रह कर बैठक दिनांक 04.10.2017 के लिए वांछित सूचनाएं तैयार कर दिनांक 01.10.2017 को दोपहर 1 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेगें। इस अवधि में किसी भी संबंधित अधिकारी / कार्मिक को अवकाश स्वीकृत नही किया जावे।

अपेक्षित सूचनाएं जो तैयार की जानी है :–

1. वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक समस्त छात्रवृतियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा गत वर्षों के बकाया प्रस्ताव एवं मांग राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूरित कर भिजवाई जानी है। प्रपत्र दिनांक 27.09.2017 को प्रातः 8.30 बजे समस्त जिशिअ एवं उपनिदेशक कार्यालय को जरिये ई–मैल भिजवा दिया गया है।
2. सी.एम हेल्प लाईन 181 एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी की जावेगी। अतः समस्त एल–1,एल–2 पर स्थित अधिकारी आवश्यक रूप से समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर दिनांक 01.10.2017 को शून्य की सूचना भेजें। छात्रवृत्ति सम्बन्धित परिवेदनाओं के निस्तारण का पूर्ण विवरण पृथक से जरिये ई–मेल भेजना सुनिश्चित करें।
3. भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान की समीक्षा भी बैठक में की जानी है। अतः समस्त प्रकार की उत्तरमेट्रिक छात्रवृत्तियां जो कि भामाशाह प्लेटफार्म पर ऑनलाईन की जा रहीं हैं में जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाईयों पर एक संक्षिप्त नोट भी आवश्यक रूप से भेजा जावे तथा अन्य कौनसी छात्रवृत्ति योजनाएं भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान की जा सकती हैं के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी प्रस्तुत करें।
4. व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की सूचना जो कि जिशिअ कार्यालयों ने निदेशालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट प्रतियों में प्रेषित की थीं वे अपूर्ण हैं। सूचना में विद्यार्थियों के घर का पूरा पता एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित कर इस कार्यालय को (एक्सेल फॉरमेट में) जरिये ई–मैल पुनः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लाभान्वित विद्यार्थियों के पते पर सम्पर्क कर उन्हें प्राप्त हुई छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन राशि इत्यादि का सत्यापन किया जावेगा। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक प्रथम / द्वितीय) यह सूचना 30.09.2017 सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें तथा अन्य जिले शेष सूचनाओं के साथ दिनांक 01.10.2017 को दोपहर 1 बजे तक सूचना पहुँचा सकते है।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।

27/9/17
सहायक निदेशक
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com